(राजस्थान–सरकार)

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, बारॉ (राज.)

पीठासीन अधिकारी सत्यनारायण आमेटा (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 70/2022

पंजीकरण संख्या :– 2022/293

बउनवान

राज0 सरकार जर्ये खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारॉ

(प्रार्थी)

बनाम

1. श्री दीपक खण्डेलवाल उम्र 43वर्ष पुत्र श्री ओमप्रकाश जाति महाजन निवासी श्याही का चौक, सीसवाली जिला बारॉ (विक्रेता एवं मालिक) मैसर्स– लोकेश प्रोविजन स्टोर, मांगरोल रोड, सीसवाली जिला बारॉ (राज.)
2. मैसर्स– लोकेश प्रोविजन स्टोर, मांगरोल रोड, सीसवाली जिला बारॉ (राज.)
3. श्री हेमन्त गर्ग पुत्र श्री ओमप्रकाश गर्ग निवासी मकान नं. 49 मेहरा पाडा की गली, बजाज खाना कोटा सिटी, कोटा राज. 324006 (मालिक) मैसर्स चित्रा ट्रैडर्स, एच 1–204 एग्रो फूड पार्क, फेज–2, रानपुर कोटा
4. मैसर्स चित्रा ट्रैडर्स, एच 1–204 एग्रो फूड पार्क, फेज–2, रानपुर कोटा

(अप्रार्थीगण)

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2 (।।) 52 एफएसएसएक्ट, 2006 रूल्स, 2011

उपस्थिति :– 1– श्री गोवर्धन सिंह ख्यालिया खा.सु.अ. (प्रार्थी)

2– श्री अरविन्द बघेरवाल अभिभाषक (अप्रार्थीगण)

निर्णय दिनांक 23.01.2024

प्रकरण राजस्थान सरकार जरिये गोविन्द सहाय गुर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारॉ द्वारा इस आशय का पेश किया कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 19.07.2022 को मैसर्स लोकेश प्रोविजन स्टोर, मांगरोल रोड, सीसवाली जिला बारॉ(राज.) पर पहुंचा। वहॉ श्री दीपक खण्डेलवाल पुत्र श्री ओमप्रकाश(विक्रेता एवं मालिक) की हैसियत से उपस्थित था, कि उपस्थिति में निरीक्षण किया गया।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 19.07.2022 को कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारॉ मे खाद्य सुरक्षा अधिकारी का कार्य सम्पादित कर रहा हूँ और मुझे राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना दिनांक 29.11.2011 के अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी नियुक्त किया गया है। श्रीमान आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक(जन.स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राज. जयपुर के आदेश क्रमांक/एच/एफएसएसए/(एफ–28)/नोटिफिकेशन/2012/172 दिनांक 01.02.2012 के अनुसार मुझे बास सील संख्या 93 आवंटित की गई एवं श्रीमान् आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियन्त्रण राज. जयपुर के आदेश दिनांक 09.06.2022 के द्वारा मुझे कार्यक्षेत्र जिला बारॉ आवंटित किया गया है और जिला बारॉ के अन्तर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र मेरे कार्य क्षेत्र मे आते है।

यह कि आवेदक द्वारा निरीक्षण किया जहॉ पर पाया कि आम जनता को विक्रय हेतु खाद्य पदार्थ **धनिया पाउडर (सन स्पाइसेस) 500 ग्राम के 28 मूल पॉली पैक** लकडी की रेक मे रखे हुये थे। मैंने अपना परिचय पत्र दिखाकर परिचय दिया एवं विक्रेता से परिचय लिया। विक्रेता से मौके पर खाद्य पदार्थ **धनिया पाउडर (सन स्पाइसेस) 500 ग्राम** में मिलावट एवं मिथ्याछाप का शक होने पर नमूना लेने हेतु विक्रेता को अवगत कराया गया। तत्पश्चात् नमूना वास्ते जांच हेतु लेने की सूचना फार्म नं0 5ए की प्रति स्वतंत्र गवाह की उपस्थिति मे तैयार कर विक्रेता को देकर प्राप्ति रसीद ली जिसकी प्रति आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी, बारॉ द्वारा खाद्य पदार्थ **धनिया पाउडर (सन स्पाइसेस) 500–500 ग्राम के 04 मूल पॉली पैक** वास्ते नमूना जांच हेतु खरीदे जिसकी कीमत श्री दीपक खण्डेलवाल पुत्र श्री ओम प्रकाश महाजन (विक्रेता एवं मालिक) को 360/– रूपये (अक्षरे तीन सौ साठ रुपये) नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर तथा उपस्थित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तत्पश्चात स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर किये जिसकी प्रति आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक ने खरीदशुदा खाद्य पदार्थ **धनिया पाउडर (सन स्पाइसेस) 500–500 ग्राम के 04 मूल पॉली पैक** के प्रत्येक भाग पर लेबल तैयार कर चिपकाये एवं लेबल पर डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक ए.एच.–1501 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं मालिक तथा गवाहान के हस्ताक्षर कराये। चारों नमूना भागों को अलग–अलग कागज में लपेट कर प्रत्येक नमूना भाग पर डी.ओ. बारां की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप नं. ए.एच.–1501 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से ऊपर तक फेविकोल से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर मालिक के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आवे एवं सीलबन्द नमूनों पर गवाह के हस्ताक्षर कराकर नमूने का पूर्ण विवरण लिखकर मेरे द्वारा हस्ताक्षर कर चारों नमूना भागों को अपने जाप्तें में लिया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan Ameta
Date: 2024.02.01 11:26:19 IST
Reason: SelfAttested

आवेदक ने मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढकर, सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा, जिसे श्री दीपक खण्डेलवाल पुत्र श्री ओमप्रकाश महाजन (विक्रेता एवं मालिक) ने भी पढकर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये।

आवेदक ने कार्यालय पहुंच कर फार्म नं. 6 की प्रतियॉ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म नं0 6 की प्रति के आउटर कवर मे सीलबन्द कर सील मोहर कर एवं एक प्रति फार्म नं. 6 की अलग से सील्ड लिफाफे मे स्वंय द्वारा खाद्य विश्लेषक, कोटा को जमा कराकर रसीद प्राप्त की। जो आवेदन के साथ संलग्न है। दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की दो प्रतियों के आउटर कवर में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग मय फार्म नं. 6 की प्रति के अभिहित अधिकारी(खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारां को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारॉ के पत्र क्रमांक/एफएसएसए/2022/218 दिनांक 16.08.2023 से ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक, कोटा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 1093/PHL/kota/Act/2022/1095 दिनांक 02.08.2022 के अनुसार विकेता द्वारा वास्ते नमूना जांच हेतु विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ **धनिया पाउडर (सन स्पाइसेस) 500 ग्राम मूल पॉली पैक** खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 रूल्स, 2011 की धारा 3(1)(zf)(C)(i) के तहत **मिथ्याछाप (Misbrand)** होना पाया गया।

इस पर प्रकरण दिनांक 21.11.2022 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर, अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड सम्मन से तलब किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा जरिये अभिभाषक उपस्थित होकर प्रकरण मे अप्रार्थी क्रम 3 व 4 की ओर से जवाब प्रस्तुत किया गया, जो शामिल पत्रावली किया जाकर उभयपक्ष की अंतिम बहस सुनी गई।

राजस्थान सरकार जरिये प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी, बारां ने परिवाद में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा कथन किया कि अप्रार्थीगण द्वारा जिस खाद्य पदार्थ **धनिया पाउडर (सन स्पाइसेस) 500 ग्राम मूल पॉली पैक** को वास्ते नमूना जांच हेतु विकय किया गया था, वह जॉच रिपोर्ट में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 रूल्स, 2011 की धारा 3(1)(zf)(C)(i) के तहत **मिथ्याछाप (Misbrand)** होना पाया गया। अप्रार्थीगण का उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 रूल्स 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (I I) के तहत अपराध की श्रेणी में आता है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 रूल्स, 2011 की धारा 52 में निर्धारित है। अतः अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

अप्रार्थीगण के अभिभाषक द्वारा दौराने बहस प्रस्तुत जवाब के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया गया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा इस्तगासे मे वर्णित संबंधित दस्तावेज अप्रार्थी क्रम 3 व 4 को उपलब्ध नही कराये गये है। इस कारण अप्रार्थीगण को किस आधार पर दोषी माना, समस्त कार्यवाही अप्रार्थी क्रम 3 व 4 की अनुपस्थिति मे की गयी है। अप्रार्थी क्रम 3 व 4 पर मिथ्याछाप(मिसब्राण्ड) का आरोप लगाया गया है, जबकि अप्रार्थी क्रम 3 व 4 सन स्पाईसेस धनिया का उत्पादन तथा पैकिंग का कार्य स्वयं करते है तथा जिस समय उक्त माल की पैकेजिंग की गई थी तब एफएसएसएक्ट के नियम 2006 व 2011 के अन्तर्गत माल पर मैन्यूफैक्चरिंग तारीख के स्थान पर बेस्ट बिफोर ही लिखा जाना अनिवार्य था जो उक्त पैकिंग पर लिखा हुआ था। बाद मे जब नियमों मे परिवर्तन हुआ [illegible]-टू-डेट का प्रावधान अस्तित्व मे आया जिसकी जानकारी विभाग द्वारा सार्वजनिक नही की गई [illegible] अतः अप्रार्थी क्रम 3 व 4 को मिथ्याछाप के प्रावधान का दोषी मानना विधि सम्मत सही नहीं है। परिवादी द्वारा [illegible] 02.08.2022 को हुई जांच रिपोर्ट की जानकारी अपील की मियाद निकलने के पश्चात दी गयी [illegible] सब से परिलक्षित होता है कि उक्त कार्यवाही दुर्भावनापूर्वक तरीके से की गई है। अप्रार्थी क्रम 3 व 4 अपने व्यवसाय में पूर्ण नियमों की पालना करते है, परन्तु खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा नियमों मे हुये परिवर्तन की जानकारी कभी भी व्यापारियों को नही दी जाती है। प्रकरण मे पी.एच.एल. के आई.ओ. ने जो रिपोर्ट पेश की है उसके सब तथ्य भ्रामक है, क्योकि क्लोज नं. 3 पर उन्ही की रिपोर्ट से पेकिज माह जुलाई, 2022 ही मेन्शन की है और वही क्लोज नं. 5 मे एक्सपायर दिनांक का क्लोज बता कर मुझे पेनल्टी का नोटिस थमा दिया गया, जिसमे मेरे द्वारा एक्सपायर दिनांक लिखा होना नही बताया है। जबकि क्लोज 7 मे बेस्ट बीफोर 8 मन्थ फोम पेकेजिंग लिखा है, जिससे यह सिद्व होता है कि पेकिंग प्रोडक्ट जुलाई 2022 मे हुआ है और एक्सपायर दिनांक अर्थात बेस्ट बिफोर 8 मन्थ अर्थात इसका

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan Ameta
Date: 2024.02.01 11:26:19 IST
Reason: SelfAttested

उपयोग 8 माह पूर्व मे किया जाना है या मार्च 2023 तक है जो कि पेकिंग से यह साबित करता है कि प्रोडक्ट की एक्सपायर दिनांक भी पेकिट पर 8 माह के अनुसार मेन्शन है उक्त अनुसार आई.ओ. द्वारा जो रिपोर्ट दी गई है उस मे भ्रम/संशय है और मुझे व मेरी फर्म को उलझाने व जबरन पेनल्टी लगाने की साजिश है। परिवादी द्वारा प्रस्तुत इस्तगासा को विधिक प्रावधानों की अनदेखी किये जाने के कारण अस्वीकार किया जावे तथा अप्रार्थीगण क्रम 3 व 4 के विरूद्व नोटिस कार्यवाही ड्रोप की जावे।

प्रार्थी राजस्थान सरकार जर्ये खाद्य सुरक्षा अधिकारी बारॉ द्वारा कहा गया कि अप्रार्थीगण यदि खाद्य विश्लेषक, कोटा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 1093/PHL/kota/Act/2022/1095 दिनांक 02.08.2022 से असन्तुष्ट थे तो अप्रार्थी क्रम 1 व 2 को जर्ये पत्र सूचित किया जाकर एक माह का समय दिया गया था कि उक्त सेम्पल की पुनः जॉच करवाये, किन्तु अप्रार्थीगण द्वारा उक्त सेम्पल की पुनः जॉच नहीं करवायी गई है।

प्रकरण में उभयपक्ष की अंतिम बहस सुनी गई और पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया गया कि अप्रार्थीगण से वास्ते नमूना जॉच हेतु क्रय किया गया खाद्य पदार्थ **धनिया पाउडर (सन स्पाइसेस) 500 ग्राम मूल पॉली पैक** खाद्य विश्लेषक, कोटा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 1093/PHL/kota/Act/2022/1095 दिनांक 02.08.2022 के अनुसार, खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 रूल्स 2011 की धारा 3(1)(zf)(C)(i) के तहत **मिथ्याछाप(Misbrand)** होना पाया गया। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 रूल्स, 2011 की धारा 26 की उपधारा 2 (।।) के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी में आता है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 रूल्स, 2011 की धारा 52 के तहत अप्रार्थी क्रम 3 व 4 को कुल जुर्माना राशि 12,000/– रूपये (अक्षरे बारह हजार रूपये) के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाता है। अप्रार्थी क्रम 3 व 4 उक्त जुर्माना राशि ई–मित्र सेवा केन्द्र से चालान निकलवाकर, जरिये चालान बैंक मे **निर्धारित मद 0210 चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, 04 लोक स्वास्थ्य, 800 अन्य प्राप्तियां, 03 खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञा पत्र शुल्क आदि** में जमा करवाकर, चालान की प्रति इस न्यायालय मे अन्दर एक माह प्रस्तुत करे।

निर्णय आज दिनांक **23.01.2024** को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सत्यनारायण आमेटा)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति0 जिला मजिस्ट्रेट,
बारॉ (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan Ameta
Date: 2024.02.01 11:26:19 IST
Reason: SelfAttested